उमा प्रचार

वर्ष 12 अंक 47

अक्टबूर से दिसम्बर

पंचायती राज सुदृढ़ता : तीन प्रमुख कदम

राजस्थान महिला पंच–सरपंच संगठन ने विरोध जताया

ममता जैतली

ग्राम न्यायालय : आशा की नई किरण

प्रेम कृष्ण शर्मा

केवल निजि वितरण के लिए

यह अंक

पंचायती राज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन सभागार में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसके अंतर्गत 2009–10 को 'ग्राम सभा वर्ष', सरकारी योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बढ़ाने और 'नरेगा' का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखने का निर्णय लिया गया। सरकार की इन घोषणाओं की सार्थकता तभी है, जब इन्हें व्यवहार में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से लागू किया जाए। तभी 'आपके दरवाजे पर लोकतंत्र' की गांधी की परिकल्पना को सही मायने में साकार किया जा सकता है। इस अंक में प्रस्तुत है इस सम्मेलन की संक्षिप्त जानकारी।

पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पंचायतों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है। राजनीति में अधिक से अधिक महिलायें आ सकें, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण से पंचायतें और अधिक सक्षम और कार्यशाली बनेंगी। एक तरफ महिला सशक्तीकरण के नाम पर महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत किया जा रहा है, तो दूसरी ओर महिला जन–प्रतिनिधियों के लिए आठवीं पास होने की अनिवार्यता की जाने की संभावना है। यहां पर 'सांप भी मर जाये, और लाठी भी नहीं टूटे' कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है।

ग्रामीण समाज को सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय की कल्पना की गई थी। ग्राम न्यायालय कानून 2008 इसी परिकल्पना का साकार रूप है। केंद्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू कर दिया है। ग्राम न्यायालय के बारे में जानकारी दे रहे हैं – प्रेम कृष्ण शर्मा।

पंचायती राज की सुदृढ़ता : तीन प्रमुख कदम

पंचायती राज के पचास वर्ष पूरे होने के सिलसिले में 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूरे देश से ऐसे सरपंच और ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया, जो 20–25 साल से लगातार चुने जाते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सी पी जोशी भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने पंचायती राज की मजबूती की दिशा में तीन महत्त्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सन् 2009–10 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगा और सरकारी योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी।

श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नरेगा में पंचायती राज संस्थाओं ने बेहतर काम किया है और उनका इस्तेमाल दूसरी सरकारी योजनाओं में भी किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इससे सहमत दिखीं और उन्होंने तो यहां तक कहा कि नरेगा के हिसाब–किताब का काम पंचायती राज संस्थाओं को ही देखना चाहिए।

पंचायतों को मजबूत बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को 'आईटी' और 'एकाउंट्स' की शिक्षा देनी होगी और उन्हें सिखाना होगा कि किस तरह से सरकारी योजनाओं की निगरानी की जा सकती है। उन्होंने स्वीकार किया कि पंचायतों के पास भवन, स्टाफ जैसी सुविधायें नहीं हैं, इससे उन्हें काम करने में मुश्किल आती है। श्री मनमोहन सिंह जी ने राज्यों से कहा कि वे पंचायतों के समानांतर संस्थायें बनाने से बचें। उन्होंने कहा कि किसी योजना विशेष को तेजी से लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के नाम पर जो नई संस्थायें बनाई जाती हैं, उनका शुरू में तो फायदा दिख सकता है, लेकिन अंततः इससे शासन को विकेंद्रित करने और पंचायतों को मजबूत बनाने की कोशिशों को धक्का अधिक पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि शासन को विकेंद्रित करने का काम पंचायती राज के बिना संभव नहीं है। गांव में सामाजिक और आर्थिक विकास में ग्राम सभाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सी पी जोशी ने कहा कि सरकार गांवों को आईटी से इसीलिए जोड़ना चाहती है ताकि गांव के बच्चे आगे बढ़ें।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं अन्य कई राज्यों की सरकारों ने 2009–10 को 'ग्राम सभा वर्ष' मनाने के बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन, ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना और ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा–जोखा जैसे मसलों पर चर्चा की जाए।

ग्राम सभा लोकतंत्र में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने का एक मंच है। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को 'ग्राम गणतंत्र' की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि 'केंद्र में बैठे बीस लोगों के बूते असल में प्रजातंत्र नहीं आएगा, बल्कि हर गांव के लोगों की भागीदारी से ही यह संभव है।' इसीलिए, यदि ग्राम सभा सशक्त होती है तो गांधी जी के ग्राम गणतंत्र का सपना साकार होगा।

सरकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रयास करती रही है, लेकिन उसकी विभिन्न घोषणाओं की सार्थकता तभी है, जब इन्हें व्यावहारिक धरातल पर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। पिछले सालों में समय–समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती के लिए अनेक प्रयास किए और 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनमें नई जान डालने का प्रयास किया गया। कुछ समय पहले पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ये कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। मूल मुद्दा जमीनी धरातल पर इन फैसलों को व्यावहारिक ढंग से लागू करने का है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार और पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुलभ कराना जरूरी है। तभी हम 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' यानि 'आपके दरवाजे पर लोकतंत्र' की गांधी की परिकल्पना को सही मायने में साकार कर सकते हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

राजस्थान महिला पंच–सरपंच संगठन ने जताया विरोध

ममता जैतली

महिला पंच–सरपंच संगठन, राजस्थान की सदस्याओं ने ज्ञापन देकर महिला पंच–सरपंचों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने का विरोध किया है। राजनैतिक हलकों में इन दिनों इस विषय पर जोर–शोर से चर्चा हो रही है और इस पर आम सहमति भी बन चुकी है। महिला जन प्रतिनिधियों के लिए आठवीं पास होने की अनिवार्यता की जाने की संभावना है।

सरकार ने यदि ऐसा कोई निर्णय लिया तो यह बेहद खतरनाक और महिला विरोधी कदम होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देकर महिलाओं के जिस सशक्तीकरण का सपना ग्रामीण वंचित वर्ग की महिलाओं को दिखाया था यह निर्णय अधिकांश महिलाओं से उनके चुनाव लड़ने के संवैधानिक हक ही छीन लेने वाला साबित होगा। इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जन–प्रतिनिधि साक्षर हों। वे पढ़–लिख पाएंगे तो अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, लेकिन इस तरह के निर्णय लेने से पहले साक्षरता की स्थितियों पर गौर करना अत्यंत जरूरी है। दुखद यह है कि आजादी के बाद से सरकारों द्वारा संपूर्ण साक्षरता के लिए चलाए गए तमाम अभियानों के बावजूद 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दर मात्र 54.28 प्रतिशत ही हो पाई है। राजस्थान में तो यह 44.34 प्रतिशत ही है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर 37.74 प्रतिशत है। दूरस्थ क्षेत्र में तो अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग में साक्षरता की स्थिति और शोचनीय है। उदाहरण के लिए उदयपुर जिले की आदिवासी बहुल कोटड़ा तहसील में महिला साक्षरता की दर 11.14 प्रतिशत ही है। शेष 89 प्रतिशत औरतें वर्ष 2001 में निरक्षर ही थीं। आठवीं कक्षा पास को चुनाव लड़ने के योग्य घोषित किए जाने पर इस क्षेत्र में शायद एक प्रतिशत महिलाएं ही चुनाव लड़ने के योग्य मिल पाएंगी। ऐसे में क्या 99 प्रतिशत महिलाओं से चुनाव लड़ने का

उनका संवैधानिक हक छीन लिया जाएगा ? कई पंचायतों में तो आरक्षण कोटे के अनुसार शायद कोई भी योग्य महिला प्रत्याशी न हो।

एक तरफ तो महिला सशक्तीकरण के नाम पर पंचायती राज संस्थाओं के पचास प्रतिशत पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की बात चल रही है। दूसरी तरफ प्रकारांतर से आम महिला को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जाना कितना उचित है ? यह तो शिक्षा के सार्वजनिककरण में सरकारों की असफलता महिलाओं पर थोप दी गई। सरकार द्वारा यह योग्यता निर्धारित करना तो तब उचित था जब तह संपूर्ण साक्षरता या सबके लिए अनिवार्य शिक्षा का अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुकी होती।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित यही होगा कि चुनाव से पूर्व सभी महिला या अन्य निरक्षर प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवाया जाए कि चुनाव जीतने के बाद साक्षरता कौशल हासिल करने के सरकारी प्रयासों में पूर्ण रूप से भागीदारी लेंगी। सरकार को इन जन–प्रतिनिधियों को साक्षर बनाने के लिए तब उनकी सुविधा से उनके अनुकूल समय पर साक्षरता शिक्षण के प्रयास पूरी गंभीरता से करने होंगे। सरकार की मंशा यदि ऐसे किसी निर्णय को लागू करने की है तो इससे पहले इस अति महत्त्व के विषय पर आम जनता की राय जानना अत्यंत जरूरी है। जनता के बीच रचनात्मक बहस के बिना ऐसा कोई निर्णय लेना लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत है।

विविधा फीचर्स से साभार

ग्राम न्यायालय : आशा की नई किरण

प्रेम कृष्ण शर्मा

किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है कि इसमें सभी लोगों के लिए न्याय की प्रक्रिया सुलभ हो। भारत में आज भी जहां सत्तर प्रतिशत से अधिक लोग गांव में बसते हैं, उनके लिए अभी तक न्याय के रास्ते बहुत खर्चीले और कठिन रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए ग्राम न्यायालयों की परिकल्पना की गई थी। ग्राम न्यायालय कानून, 2008 इसी की परिणति है। ग्राम न्यायालय, यानि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को आसान और जल्दी न्याय दिलाने का माध्यम। इसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक, आर्थिक या मानसिक विकलांगता के कारण न्याय देने से वंचित नहीं रखा जाएगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी कर 2 अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया है। राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के साथ परामर्श कर ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता तथा उसकी शक्तियों का निर्धारण करते हुए अधिसूचना जारी कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना प्रत्येक माध्यमिक पंचायत स्तर पर या जिस राज्य में माध्यमिक पंचायत न हो वहां पर ग्राम पंचायतों के समूह के स्तर पर कर सकेगी।

ग्राम न्यायालय का मुख्य कार्यालय उस क्षेत्र की उसी स्तर की पंचायत के मुख्य कार्यालय की जगह पर ही स्थापित होगा। हर ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की योग्यता रखने वाला एक न्यायायिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। न्यायाधिकारी चल ग्राम

न्यायालयों का भी संचालन करेंगे, जिनकी पूर्व सूचना व प्रचार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार चल ग्राम न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ग्राम न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों की सुनवाई इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकेगा। ग्राम न्यायालयों द्वारा सुने जा रहे मुकदमों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान लागू होंगे।

सेशन व जिला न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों में चल रहे मुकदमों का स्थानांतरण भी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई निश्चित तिथि तक ग्राम न्यायालय में कर सकेंगे। ग्राम न्यायालयों में प्रक्रियात्मक कार्यवाही तथा ग्राम न्यायालय की भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा ही होगी। फौजदारी मामलों में ग्राम न्यायालयों के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, दंड अथवा आदेश की अपील आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर सेशन न्यायालय में की जा सकेगी।

इसी प्रकार दीवानी मामलों में भी ग्राम न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश (जो अंतरिम आदेश न हों) के तीस दिन के अंदर जिला न्यायालय में की जा सकेगी। ग्राम न्यायालय को पुलिस तथा राजस्व विभाग का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च न्यायालय किसी भी श्रेणी के न्यायायिक अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम न्यायालयों का हर छह महीने में एक बार निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकता है। दीवानी मामलों में दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे। किसी भी दीवानी मामले को ग्राम न्यायालय में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। कोर्ट फीस किसी भी मामले में सौ रुपए से अधिक नहीं होगी।

फौजदारी मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता केवल उसी सीमा तक लागू होगी जो ग्राम न्यायालय कानून के विपरीत न जाती हो। इन मामलों में भी कार्यवाही संक्षिप्त रूप में की जाएगी। न्यायालयों के समक्ष अभियुक्त द्वारा सौदेबाजी के प्रावधान का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसके अनुसार उसके द्वारा अपराध की स्वीकृति कर लिए जाने पर लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती और कोई हल्का दंड प्रस्तावित किया जा सकता है।

इस प्रकार ऐसा लगता है कि न्याय अब लोगों को उनके द्वार के आसपास उपलब्ध हो सकेगा। कुछ समय के अनुभव के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है। वैसे बहुत सारी बातें नकारात्मक भी हो सकती हैं, जैसे प्रक्रियात्मक अवधारणा इस कानून में भी प्रतिपक्षात्मक ही है। इसमें पक्षकारों को ही अपने पक्ष को प्रस्तुत करना होता है और इसमें अक्सर साधन और भुजबल का पलड़ा भारी हो जाता है। अभी भी जोर इसी बात पर है कि मामलों का निपटारा चाहे न्यायालय द्वारा या समझौते के द्वारा हो, परंतु मूल रूप में वास्तविक न्याय की अवधारणा का अभी कोई स्थान नहीं है, जिसमें न्याय व्यवस्था को खुद सक्रिय होकर न्याय से वंचित व्यक्तियों और वर्गों को समानता तथा अन्य मूल मानवाधिकारों के आधार पर न्याय उपलब्ध करवाया जा रहा है तो उसमें स्थानीय समुदाय की भूमिका भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है ताकि वास्तविकता के आधार पर निर्णय करने में आसानी हो। फिर भी हमें आशा करनी चाहिए कि ग्राम न्यायालयों का यह प्रयोग सफल रहेगा।

विविधा फीचर्स से साभार

दहेजमुक्त नीलांबुर गांव

तिरुवनंतपुरम के उत्तर में 400 किलोमीटर दूर स्थित नीलांबुर देश का ऐसा पहला गांव है, जहां दहेज देने और लेने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसका श्रेय यहां की पंचायत को जाता है, जिसने दहेज–विरोधी आंदोलन चलाकर यह कामयाबी पाई। मलाप्पुरम जिले के नीलांबुर गांव की आबादी लगभग 40000 है, जहां पहले दहेज की कुप्रथा अत्यंत भयावह रूप में थी। पिछले साल पंचायत द्वारा संचालित एक सर्वेक्षण के दौरान 1,300 लड़कियों ने कहा कि दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रह गई थीं। 40 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके द्वारा दी गई दहेज की रकम के कारण वे दिवालियापन की कगार पर हैं। गांव में तलाकशुदा 52 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि शादी के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्हें पति का घर छोड़ना पड़ा।

27 वर्षीया फरीदा एस की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी। तब वह आठवीं कक्षा में थीं। उनके पिता ने दहेज में 20 तोला सोना और एक लाख रुपए नकद दिए। शादी के पांच साल के भीतर और दहेज की मांग पूरी न होने पर उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि वे दो बच्चों की मां बन चुकी थीं। 33 वर्षीय उम्मू सलमा की शादी के बाद उनके पिता उनके ससुराल पक्ष की दहेज की मांगे पूरी नहीं कर पाए तो पति ने दस साल पहले पांच वर्षीय बेटी के साथ उन्हें छोड़ दिया।

लेकिन, यह दारुण स्थिति अब नहीं रही। अपने तीन बच्चों के साथ अकेली रह रही 36 वर्षीय आयशा टेक्केरपरम्भिल ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की शादी बिना दहेज लिए होगी। पिछली मई में 24 वर्षीय अनुस बाबू ने उनकी 18 वर्षीय बेटी का हाथ मांगा। आखिर, यह सब कैसे हुआ ? दहेज के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली नीलांबुर पंचायत की सरपंच आर्यादन शौकत बताती हैं, 'हमने लोगों से कहा कि वे दहेज न लेने और न देने की कसम खाएं। इसके लिए जोर जबर्दस्ती नहीं की गई, बल्कि लोगों को समझाया बुझाया और पूरे समर्पण के साथ आंदोलन चलाया। प्रत्येक वार्ड में बैठकों, प्रत्येक घर के दौरे, नुक्कड़ नाटकों, प्रेरणा कक्षाओं और दहेज–विरोधी एसोसिएशन बनाने के जरिए जन जागरूकता पैदा की गई। स्कूली छात्रों को भी इस अभियान में शामिल किया गया।'

पंचायत की सहायता करने वाली एचआरडी की महिला समाख्या की स्थानीय इकाई की प्रवक्ता सेलिना टी ने बताया, हमने दहेज को सबसे बड़े पाप के रूप में प्रचारित किया। इस आंदोलन की बदौलत पिछले दो माह से गांव में एक भी शादी में दहेज का लेन–देन नहीं हुआ है।

हिंदुस्तान टाइम्य से साभार

राज्य समाचार

जयपुर :राजस्थान पंचायती राज में युवक

राजस्थान सरकार ने 21 से 35 वर्ष के युवकों के लिए राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की घोषणा की है। इस संशोधन को राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994 में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया।

स्थानीय प्रशासन में युवकों के लिए आरक्षण का यह निर्णय सरकार ने कुछ समय पहले लिया था, इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती भी दी गई

थी। पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि आरक्षण के प्रतिशत के संबंध में गलतफहमी के कारण यह निर्णय अटका पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

निश्चित वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित होंगी – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनावों में 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच के लोग होंगे। आरक्षित वर्ग के मामले में निश्चित आयु समूह की तीन सीटों में एक सीट आरक्षित होगी। यदि तीन सीट से अधिक होंगी, तब उनके लिए अधिकतम दो सीट आरक्षित होंगी।

सामान्य वर्ग की सीटों के मामले में हरेक पांच सीटों में एक सीट इस आयु वर्ग के युवकों के लिए आरक्षित होगी। यदि पांच सीटों से कम सीट होंगी, तब सामान्य सीटों पर युवकों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी।

राजस्थान : पंचायती राज संस्थाओं को 16 विषयों के अधिकार देने की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2009 को देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्वर्ण जयंती के मौके पर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को एक बार फिर 16 विषयों के अधिकार देने तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने नागौर में 50 साल पहले आज ही के दिन पं. जवाहरलाल नेहरू की ओर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में ये घोषणायें कीं। इस मौके पर राज्य के नागौर जिला मुख्यालय पर पंचायती राज की स्वर्ण जयंती के समारोह में पंचायत व्यवस्था की मजबूती का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था और नरेगा जैसी योजनाओं को निष्ठा और संकल्प के साथ सफल बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक देश के हर गांव में बसे लोगों को अपना भविष्य संवारने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक खुशहाल देश का सपना साकार नहीं हो सकता। उन्होंने पंचायती राज की कमियों पर चिंता जताते हुए कहा कि कई राज्यों में समय पर पंचायत चुनाव नहीं होना दुखद है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए गांवों में बदलाव लाने के उद्देश्य से पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया था। इसमें दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसी का परिणाम है कि देश में आज 12 लाख महिलाएं पंचायतों के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इस अवसर नर देश की प्रथम महिला जिला प्रमुख सहित प्रदेश के तीन प्रथम जिला प्रमुखों को भी सम्मानित किया गया।

पं.रा.अ.से साभार

राष्ट्रीय समाचार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की पंचायत अधिकारियों या प्रशासन पर निर्भरता कम करने के इरादे से ग्रामीण विकास मंत्रालय एटीएम जैसी एक मशीन को टेस्ट कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के भीलवाड़ा की रायला पंचायत में मंत्रालय ने इस मशीन को लॉन्च किया है। इसमें नरेगा सदस्यों और उनकी व्यक्तिगत जानकारियों का सेंट्रलाइज्ड डेटा है।

टच स्क्रीन वाली यह मशीन नरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी और काम की स्थिति के

बारे में जानकारी देगी। इसमें एक विकल्प के सहारे वे काम के लिए अनुरोध दे सकते हैं और बदले में उन्हें रसीद भी मिलेगी। उन्हें इस मशीन से यह जानकारी भी मिलेगी कि आसपास के इलाकों में मजदूरों की कितनी मांग है और किस तरह का काम उपलब्ध है। मशीन में शिकायत दर्ज करने का विकल्प है और मजदूर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि मशीन मेन सर्वर से लिंक होगी और इसमें मजदूर की बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी ने कहा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर का विकास 'निक' ने किया है, जिससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। अभी इसे एक पंचायत में लॉन्च किया गया है। यदि सफलता मिली तो देश भर में इसकी शुरुआत की जाएगी। मशीन मजदूरों के लिए तैयार की गई है और मजदूरों का बड़ा हिस्सा निरक्षर है। लेकिन टच स्क्रीन उन्हें ऑटोमेटेड वॉयस ऑप्शन के साथ गाइड करेगी।

राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं की भूमिका स्पष्ट करने की सलाह

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं में ग्राम सभाओं और सरपंचों एवं पंचों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने को कहा है ताकि वे ग्रामीण विकास के असरदार मंच बन सकें और जनता की आवाज का प्रतिनिधित्त्व कर सकें। केंद्र सरकार ने राज्यों से ग्राम सभा के सचिवों की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और स्थानीय दबावों से उनकी समुचित रक्षा करने को कहा है। सभी राज्य सरकारों को भेजी गई एक सलाह में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में ग्राम सभाओं को पूरी भागीदारी करनी चाहिए। मंत्रालय ने राज्य से यह भी कहा है कि ग्राम सभा की बैठकों में उन विषयों को शामिल कर उनकी चर्चा का दायरा बढ़ाया जाए, जो अधिक रुचिकर एवं सार्थक हैं।

पं.रा.अ.से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**
वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-47682222